

संयुक्त प्रांत बन्दियों को परीवीक्षा पर छोड़ना अधिनियम, 1938

{संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 8, 1938}

**THE UNITED PROVINCES PRISONERS RELEASE ON PROBATION
ACT, 1938**

[U. P. ACT No. VIII OF 1938]

संयुक्त प्रांत बन्दियों को परिवीक्षा पर छोड़ना अधिनियम, 1938¹

{संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 8, 1938}

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत

{गवर्नर ने 14 सितम्बर, 1938 को स्वीकृति प्रदान की तथा गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 की धारा 75 के अधीन 24 सितम्बर, 1938 को प्रकाशित² हुआ।}

प्रांतीय सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों पर कतिपय बन्दियों को छोड़ने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

यह इष्टकर है कि कतिपय मामलों में बन्दियों को कारावास की उस अवधि के, जिसके लिये उन्हें दण्डादिष्ट किया गया हो, समाप्त होने के पूर्व कारागार ने सशर्त छोड़ने की व्यवस्था की जाय;

अतः एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1— (1) यह अधिनियम संयुक्त प्रांत बन्दियों को परिवीक्षा पर छोड़ना अधिनियम, 1938 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार³ सम्पूर्ण {उत्तर प्रदेश}⁴ में होगा।

(3) यह उस दिनांक⁵ को प्राप्त होगा, जिसे {राज्य सरकार}⁶ अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करें।

2— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 401 में किसी बात के होते हुये भी, जहां कोई व्यक्ति कारावास के दण्डादेश के अधीन कारागार में परिरुद्ध हो और उसके पूर्ववृत्त और कारागार में उसके आचरण से {राज्य सरकार}⁶ को ऐसा प्रतीत हो कि यदि उसे कारागार से छोड़ दिया जाये तो उसके अपराध करने से प्रविरत रहने की तथा शान्तिमय जीवन व्यतीत करने की संभावना है, वहां {राज्य सरकार}⁶ लाइसेंस द्वारा उसे इस शर्त पर छोड़े जाने की आज्ञा दे सकेंगी कि उसे किसी सरकारी अधिकारी के या किसी व्यक्ति के जो उसी धर्म का अनुयायी हो जिस धर्म का अनुयायी वह बंदी है, अथवा किसी ऐसे धर्म निरपेक्ष संस्था के या उसी धर्म की जिस धर्म का अनुयायी वह बंदी हो, किसी ऐसी सोसायटी के लिये {राज्य सरकार}⁶ द्वारा इस प्रयोजन के लिये मान्यता दी गयी हो, पर्यवेक्षण और प्राधिकार के अधीन रख दिया जाये, यदि ऐसा अन्य व्यक्ति, संस्था अथवा सोसायटी उसे अपने प्रभार में लेने के लिये सहमत हो।

सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों पर लाइसेन्स द्वारा छोड़ने की उसकी शक्ति

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये गजट पृष्ठ 152 देखिये;
2. गजट 1938 खण्ड 7 पृष्ठ संख्या 72-74 देखिये।
3. इस अधिनियम का विस्तार इस सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियम या आर्डर के अधीन किया गया है और इसे क्षेत्रों में, स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति, यदि कोई हो, के अधीन उस दिनांक से जो प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के सामने स्तम्भ 4 में उल्लिखित है, प्रवृत्त किया गया है।

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आदेश, जिनके अन्तर्गत प्रसारित किये गये	विज्ञप्ति, यदि कोई हो, जिनके अन्तर्गत प्रभावी किया गया	तिथि जिससे प्रभावी, किया गया
1	2	3	4
1- जिला रामपुर	मर्ज्ड स्टेट्स (लाज) ऐक्ट 1949	—	31 जुलाई, 1949
2- जिला बनारस	बनारस (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर 1949	सं० 3262 (1)(2), दिनांक 30 नवम्बर, 1949	30 नवम्बर, 1949
1- जिला टिहरी गढ़वाल	(एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर 1949	तदैव	तदैव

4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित।
5. यह अधिनियम 15 जनवरी 1939 को प्रवृत्त हुआ, गजट 1938 भाग-8 पृष्ठ 1287 पर अधिसूचना संख्या 3436 छ-1651 (7)-37 दिनांक 17 दिसम्बर 1938 देखिये।
6. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नमेंट) के लिये प्रतिस्थापित।

[संयुक्त प्रांत बन्दियों को परिवीक्षा पर छोड़ना अधिनियम, 1938]

{धारा 3-7}

स्पष्टीकरण— इस धारा में पद 'कारावास के दण्डादेश' के अन्तर्गत जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय 8 के अधीन प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास भी है।

1898 का 5

3— धारा 2 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त लाइसेंस उस दिनांक तक जिस तक कि यह व्यक्ति, जिसे छोड़ा गया है उसके कारावास को प्राधिकृत करने वाले वारंट के आदेश के निष्पादन में उस दशा में कारागार से उन्मोचित किया गया होता जब उसे लाइसेंस पर छोड़ा न गया होता, अथवा जब तक कि लाइसेंस प्रतिसंहृत न किया जाये, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त रहेगा।

लाइसेंस प्रवृत्त रहने की कालावधि

4— उस कालावधि की, जिसके दौरान कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी ऐसे लाइसेंस पर जो प्रवृत्त हो, कारागार से अनुपस्थित रहे, गणना उसके दण्डादेश की कालावधि संगणित करने के प्रयोजनार्थ तथा दण्डादेश के उस परिहार की मात्रा को संगणित करने के प्रयोजनार्थ, जो ऐसे परिहारों के संबंध में प्रवृत्ति किसी नियम के अधीन उसे अधिनिर्णित किया जा सकता हो, कारावास की उस कालावधि के भाग के रूप में की जायेगी, जिसके लिये उसे दण्डादिष्ट किया गया था।

दण्डादेश की काटी गई कालावधि को संगणित करने के लिये छोड़ जाने की कालावधि की गणना कारावास के रूप में किया जाना

5— धारा 2 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त लाइसेंस ऐसे प्रपत्र में होगा तथा उनमें ऐसी शर्त अन्तर्विष्ट होगी, जो कि [राज्य सरकार]¹ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अथवा तदर्थ बनाये गये नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे।

लाइसेंस का प्रपत्र

6— [राज्य सरकार]¹ धारा 2 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त किसी लाइसेंस को ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, किसी भी समय प्रतिसंहृत कर सकेगी :

लाइसेंस प्रतिसंहरण करने की शक्ति

प्रतिबंध यह है कि लाइसेंस इस आधार पर कि उसकी किसी शर्त का उल्लंघन किया गया है, सम्बद्ध व्यक्ति को उस जिले के, जिसमें वह उस समय निवास कर रहा हो, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना प्रतिसंहृत नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन दिये गये प्रतिसंहरण के आदेश में वह दिनांक विनिर्दिष्ट होगा जब से लाइसेंस प्रवृत्त नहीं रह जायेगा और वह उस व्यक्ति पर, जिसका लाइसेंस प्रतिसंहृत किया गया हो, ऐसी रीति से तामील किया जायेगा, जो कि [राज्य सरकार]¹ नियम द्वारा विहित करें।

7— (1) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी अधिकारी अथवा धर्मनिरपेक्ष संस्था अथवा सोसायटी या व्यक्ति के, जिसके प्रभार में उसे धारा 2 के उपबंधों के अधीन रखा गया हो, पर्यवेक्षण या प्राधिकार से भाग निकले, या यदि कोई व्यक्ति, जिसका लाइसेंस धारा 6 के उपबंधों के अधीन प्रतिसंहृत कर दिया गया हो, प्रतिसंहरण के आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उससे पूर्व उस कारागार को जिससे उसे छोड़ा गया था, बिना वैध कारण के, जिसे साबित करने का भार उसी पर होगा, वापस आने में असफल रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति द्वारा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा सिद्ध दोष ठहराये जाने पर अपने मूल दण्डादेश के अनवसित भाग को काटने का भागी होगा और वह अतिरिक्त कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, अथवा जुर्माना से जो दो सौ रुपये से अधिक न होगा, अथवा दोनों से, भी दण्डनीय होगा।

छोड़े गये उन फरार व्यक्तियों को जो पर्यवेक्षण से भाग निकले दण्डनीय होना

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अर्थ के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध समझा जायेगा।

1898 का 5

1. एडेप्शन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नमेंट) के लिये प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रांत बन्दियों को परिवीक्षा पर छोड़ना अधिनियम, 1938}

{धारा 8—9}

8— (1) {राज्य सरकार}¹ किसी ऐसे व्यक्ति के, जो किसी अधिनियम के अधीन अपराध के लिये कारावास से दण्डादिष्ट हुआ हो, सम्पूर्ण दण्डादेश या उसके किसी भाग का उस दशा में परिहार कर सकेगी, जब वह अच्छे आचरण का होने तथा निवास के बारे में या अन्यथा ऐसी शर्तों का जिन्हें {राज्य सरकार}¹ अधिरोपित करे, पालन करने के लिये ऐसी धनराशि का और उतनी अवधि के लिये जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करें, एक या अधिक प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करें।

दण्डादेश का परिहार करने की सरकार की शक्ति

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 126, 126—क, 514, 514—क, 514—ख और 515 के उपबंध यावत्शक्य, इस धारा के अधीन प्रस्थापित प्रतिभुओं और दिये गये बंध—पत्रों की दशा में इस प्रकार लागू होंगे मानो वे उक्त संहिता के अध्याय 8 के अधीन प्रस्थापित किये गये और दिये गये हों :

1898 का 5

प्रतिबंध यह है कि यदि कोई व्यक्ति, जिससे उक्त संहिता की धारा 126—क या 514—क के अधीन नई प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई हो, उसे देने में असफल रहे, जो राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश को रद्द कर सकेगी और आदेश दे सकेगी कि ऐसे व्यक्ति को अनवसित सम्पूर्ण दण्डादेश या उसके उतने भाग को जो {राज्य सरकार}¹ निर्दिष्ट करें, काटना पड़ेगा।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन छोड़ा गया कोई व्यक्ति अपने बंधपत्र की शर्तों का पालन करने में असफल रहे तो {राज्य सरकार}¹ कोई ऐसी कार्यवाही करने के अतिरिक्त, जो उक्त संहिता के अधीन ऐसे बंधपत्र के संबंध में उसके विरुद्ध या उसके प्रतिभू या प्रतिभूओं के विरुद्ध की जा सकती हो, यह निदेश दे सकेगी कि उसे फिर से गिरफ्तार किया जाये और उसे उसके अनवसित सम्पूर्ण दण्डादेश को या उसके ऐसे भाग को जो वह निर्दिष्ट करें, काटने के लिये कारागार भेज दिया जाये।

9— {राज्य सरकार}¹ इस अधिनियम के संगत नियम निम्नलिखित के संबंध में बना सकेगी—

नियम बनाने की शक्ति

(1) उन लाइसेंसों के प्रपत्र और शर्तों के लिये जिन पर बन्दियों को छोड़ा जा सकेगा ;

(2) धारा 2 में निर्दिष्ट सरकारी अधिकारी की नियुक्ति, संस्थाओं और सोसाईटियों को मान्यता दिये जाने के लिये ;

(3) ऐसी सरकारी अधिकारियों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों की, जिनके प्राधिकार या पर्यवेक्षण में सशर्त छोड़े गये बन्दी रखे जा सकेगा, शक्तियों एवं कर्तव्यों को परिनिश्चित करने के लिये ;

(4) ऐसे अपराधियों के वर्गों को, जिन्हें सशर्त छोड़ा जा सकेगा तथा कारावास की वे कालावधियां, जिनके पश्चात् उन्हें इस प्रकार छोड़ा जा सकेगा, परिनिश्चित करने के लिये ;

(5) वह रीति विहित करने के लिये जिससे किसी लाइसेंस के प्रतिसंहरण का आदेश उस व्यक्ति पर तामील किया जायेगा, जिसका लाइसेंस प्रतिसंहत किया गया हो;

(6) सामान्यतः इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये।

THE UNITED PROVINCES PRISONERS RELEASE ON PROBATION ACT, 1938¹

[U. P. ACT No. VIII OF 1938]

Adapted and modified by the Adaptation of Laws Order, 1950

*[Received the assent of the Governor on September 14, 1938, and was published²
under section 75 of the Government of India Act, 1935, on September 24, 1938]*

AN

ACT

to provide for the release of certain prisoners on conditions imposed by the Provincial Government.

Whereas it is expedient to provide for the conditional release from prison of prisoners in certain cases before the completion of the term of imprisonment to which they have been sentenced; it is hereby enacted as follows :

Short title, extent and commencement	1- (1) This Act may be called the United Provinces Prisoners Release on Probation Act, 1938. (2) It extends³ to the whole of [Uttar Pradesh]⁴. (3) It shall come into force on such date⁵ as the [State Government]⁶ may by notification appoint in this behalf.
Act V of 1898 Power of Government to release by licence on conditions imposed by it	2- Notwithstanding anything contained in section 401 of the Code of Criminal Procedure, 1898, where a person is confined in prison under a sentence of imprisonment, and it appears to the [State Government]⁶ from his antecedents and his conduct in the prison that he is likely to abstain from crime and lead a peaceable life, if he is released from prison, the [State Government]⁶ may by licence permit him to be released on condition that he be placed under the supervision or authority of a Government Officer or of a person professing the same religion as the prisoner, or such secular institution or such society belonging to the same religion as the prisoner as may be recognized by the [State Government]⁶ for this purpose, provided such other person, institution or society is willing to take charge of him.

1- For S. O. R., Bee Gaz. 1938, Pt. VII, p. 152.

2- See Gaz. 1938, Pt. VII, pp. 73-74.

3- This Act has been extended to the areas mentioned in column 1 of this table under the Act or Order mentioned in column 2 and enforced in areas under notification, if any, mentioned in column 3 with effect from the date mentioned in column 4 against each such area ;

Area	Act or Order under which extended	Notification, if any, under which enforced	Date from which enforced
1	2	3	4
1. Rampur District	Merged States (Laws) Act, 1949	..	July 31, 1949
2. Banaras District	Banaras (Application of laws) Order, 1949	No.3262(1)(2), d. Nov. 30, 1949	Nov.30 1949
3. Tehri Garhwal District	Tehri-Garhwal (Do.) Order, 1949	Ditto	Ditto

4- Subs. by the A. O. 1950 for [the United Provinces].

5- The Act came into force on Jan. 15, 1939, see not. no. 3436/VI-1651(7).37, date December. 17, 1938, in Gaz. 1938, Pt. VIII, p. 1287.

6- Subs. by the A. O. 1950 for [Provincial Government].

[The United Provinces Prisoners Release on Probation Act, 1938]

[Section 3-7]

Act V of 1898		Explanation-- The expression "sentence of imprisonment" in this section shall include imprisonment in default of payment of fine and imprisonment for failure to furnish security under Chapter VIII of the Code of Criminal Procedure 1898.
Period for which licence is to be in force	3-	A licence granted under the provisions of section 2 shall be in force until the date on which the person released would, in the execution of the order of warrant authorizing his imprisonment, have been discharged from prison had he not been released on licence, or until the licence is revoked, whichever is earlier.
Period of release to be reckoned as imprisonment for computing period of sentence served	4-	The period during which a person is absent from prison under the provisions of this Act on a licence which is in force shall be reckoned as a part of the period of imprisonment to which he was sentenced, for the purpose of computing the period of his sentence and for the purpose of computing the amount of remission of sentence which might be awarded to him under any rule in force relating to such remissions.
Form of licence	5-	A licence granted under the provisions of section 2 shall be in such form and shall contain such conditions as the [State Government] ¹ may, by general or special order or by rules made in this behalf, direct.
Power to revoke licence	6-	(1) The [State Government]¹ may at any time for reasons to be recorded in writing revoke a licence granted under the provisions of section 2 : Provided that no licence shall be revoked on the ground of the breach of a condition of the licence without giving an opportunity to the person concerned to represent his case before the District Magistrate of the district in which he is residing at the time. (2) An order of revocation passed under the provisions of sub-section (1) shall specify the date with effect from which the licence shall cease to be in force, and shall be served, in such manner as the [State Government]¹ may, by rule prescribe, upon the person whose licence has been revoked.
Released absconders who escape from supervision to be punishable	7-	(1) If any person escapes from the supervision or authority of a Government officer or secular institution or a society or person in whose Charge he has been placed under the provisions of section 2, or if any person whose licence has been revoked under the provisions of section 6, fails, without lawful excuse, the burden of proving which shall be upon him to return to the prison from which he was released, on or before the date specified in the order of revocation, such person shall on conviction by a magistrate be liable to serve the unexpired portion of his original sentence add shall also be punishable with imprisonment for a further term in which may extend, to two years or with fine not exceeding rupees two hundred, or with both.
Act V of 1898		(2) An offence punishable under sub-section (1) shall be deemed to be a cognizable offence within the meaning of clause (j) of sub-section (1) of section 4 of the Code of Criminal Procedure, 1898.

1- Subs. by the A. O. 1950 for [Provincial Government].

[The United Provinces Prisoners Release on Probation Act, 1938]

[Section 8-9]

Power to
Government to
remit sentence

8-

(1) The [State Government]¹ may remit the whole or a part of the sentence of a person sentenced to imprisonment for an offence under any Act, on such person entering into a bond, with one or more sureties, in such amount and for such period as the [State Government]¹ may direct, to be of good behavior and to observe such conditions as to residence or otherwise as the [State Government]¹ may impose.

Act V of 1898

(2) The provisions of sections 126, 126-A, 514, 514-A, 514-B and 515 of the Code of Criminal Procedure, 1898, shall, so far as they may be, apply in the case of sureties offered and bonds given under this section as if they had been offered and given under Chapter VIII of the said Code :

Provided that if any person required under section 126-A or 514-A of the said Code to furnish fresh security fails to furnish the same the [State Government]¹ may cancel the order passed under sub-section (1) and order that such person shall serve the whole or so much of his unexpired sentence as the [State Government]¹ may direct.

(3) If any person released under sub-section (1) fails to observe the conditions of his bond, the [State Government]¹ may direct that he be re-arrested and sent to prison to serve the whole or such part of his unexpired sentence as it may direct, in addition to any proceedings that may be taken against him or his surety or sureties in respect of such bond under the said Code.

Power to make
rules

9-

The State Government may make rules consistent with this Act-----

(1) For the form and conditions of licences on which prisoners may be released;

(2) For the appointment of Government officer, the recognition of institutions and societies referred to in section 2;

(3) For defining the powers and duties of Government officers, institutions or persons, under whose authority or supervision, conditionally released prisoners may be kept;

(4) For defining the classes of offenders who may be conditionally released, and the periods of imprisonment after which they may be so released;

(5) For prescribing the manner in which an order of revocation of a licence shall be served on the person whose licence is revoked;

(6) Generally for carrying into effect all the purposed of this Act.

1- Subs. by the A.O. 1950 for (provincial Government).